

भारत सरकार  
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय  
मत्स्यपालन विभाग

**लोक सभा**

अतारंकित प्रश्न संख्या 2203  
20 दिसंबर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

**आंध्र प्रदेश में मछुआरों के लिए घर**

**2203. श्री एम. वी. वी. सत्यनारायण:**

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आंध्र प्रदेश की समुद्री तटरेखा लंबी है और राज्य में कई मछुआरे हैं;
- (ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा राज्य की सहायता के लिए किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या यह सच है कि वर्ष 2020-21 से अब तक राज्य में मछुआरों के लिए आवास निर्माण हेतु शून्य आबंटन किया गया है; और
- (घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री**

**(श्री परशोत्तम रूपाला)**

(क): जी हाँ।

(ख): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (एमओएफएच एंड डी), भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत विगत दो वित्तीय वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान 2126.02 करोड़ रुपये की कुल लागत पर आंध्र प्रदेश सरकार के मात्स्यिकी विकास प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया है। पीएमएमएसवाई के तहत, विभिन्न मात्स्यिकी और जल कृषि गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान की गई है जैसे पारंपरिक मछुआरों को गहरे समुद्र के मत्स्यन जहाजों की आपूर्ति, समुद्री शैवाल की खेती के लिए समुद्री केजों, राफ्ट और मोनोलिन/ट्यूबनेट, जलाशयों में शिशु मत्स्य अंगुलिकाओं (फिंगरलिंग्स) का भंडारण, मीठे पानी की फिनफिश और खारे पानी की मछली/झींगे की हैचरी, ब्रूड बैंक, जल कृषि के लिए तालाबों का निर्माण, री-सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस) इकाइयां, खुदरा मत्स्य बाजार और मत्स्य कियोस्क, कोल्ड स्टोरेज/आईएस प्लांट, फीड मिल, मूल्य वर्धित उद्यम इकाइयां, मत्स्य परिवहन इकाइयां (इसमें इंसुलेटेड वाहन, जीवित मत्स्य विक्रय केंद्र, आइस बॉक्स के साथ मोटर साइकिल और आइस बॉक्स के साथ तिपहिया वाहन शामिल है), मैकेनाइज्ड मत्स्यन जहाजों के लिए बायो-टॉयलेट, रोग निदान और गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं और मोबाइल प्रयोगशालाएं/क्लिनिक, संचार और/या पारंपरिक और मोटर चालित जहाज के लिए ट्रेकिंग डिवाइस, पारंपरिक मछुआरों के लिए नाव (रीपलेसमेंट) और जाल, मछली पकड़ने पर प्रतिबंध / लीन अवधि के दौरान सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरा परिवारों को आजीविका और पोषण संबंधी सहायता और सागर मित्रा द्वारा सहायता प्रदान करना।

इसके अलावा, (i) अनाकापल्ली जिले में पुडीमाडुका, (ii) श्रीकाकुलम जिले में बुदुगाटलापालेम और (iii) प्रकाशम जिले में कोथापट्टनम में तीन मत्स्यन बन्दरगाह और (i) विशाखापत्तनम जिले में भीमिली, (ii) विजयनगरम जिले में चिंतापल्ली और (iii) विशाखापट्टनम जिले में राजायपेटा में तीन मत्स्य लैंडिंग केन्द्रों के निर्माण के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्तावों को पीएमएमएसवाई के तहत राज्य के मछुआरों के लाभ के लिए अनुमोदित किया गया है।

इसके अलावा, पूर्व में वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान कार्यान्वित नीली क्रांति पर केंद्रीय प्रायोजित योजना: मात्स्यिकी का एकीकृत विकास और प्रबंधन के तहत मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने नेल्लोर जिले के जुवलादिन्ने में मत्स्यन बंदरगाह के निर्माण सहित राज्य में मत्स्य पालन और जल कृषि के विकास के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के 494.42 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी थी।

फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (एफआईडीएफ) के तहत मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने (i) पूर्वी गोदावरी जिले में उप्पदा, (ii) कृष्णा जिले में मछलीपट्टनम, (iii) गुंटूर जिले में निजामपट्टनम और (iv) प्रकाशम जिले में वोडारेवु में चार मत्स्यन बन्दरगाहों के निर्माण के लिए 1291.40 करोड़ रुपये की कुल लागत से आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्तावों को 600.00 करोड़ रु/- की परियोजना लागत पर इंटरैस्ट सबवैशन के साथ मंजूरी दी।

(ग) से (घ): मौजूदा पीएमएमएसवाई और एफआईडीएफ के तहत मछुआरों के लिए आवास कवर नहीं किया गया है अतः उक्त गतिविधि के लिए धन का आवंटन नहीं होता है।

\*\*\*